

10

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा 0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4585-तीन/2013 - विरुद्ध आदेश दिनांक 22-10-2013 - पारित द्वारा - अपर
आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 522/2011-12 अपील

बादाम सिंह पुत्र मूँ गाराम यादव

ग्राम टोड़ा तहसील करैरा, जिला शिवपुरी

---आवेदक

विरुद्ध

लालाराम पुत्र पैज सिंह निवासी ग्राम

टोड़ा तहसील करैरा, जिला शिवपुरी

----अनावेदक

(श्री अशोक भार्गव अभिभाषक - आवेदक)

(श्री आर0डी0शर्मा अभिभाषक - अनावेदक)

आ दे श

(दिनांक 28/1/2016)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 522/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-10-2013 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार करैरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम टोड़ा में उसके स्वामित्व की आराजी नंबर 621 है जिसका बंदोवस्त के बाद

01

1010 नंबर बना है परन्तु बंदोवस्त के समय नक्शा तैयार करने में त्रुटि होने से सुधार किया जाय। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 8/2004-05 अ-5 दर्ज कर आदेश दिनांक 21-1-08 पारित किया एवं सर्वे नंबर 1010 रकबा 0.700 हैक्टर पर आवेदक के नाम के बजाय अनावेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, करैरा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 116/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-08 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर जांच एवं हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण वापिस किया गया।

कलेक्टर भू प्रबंधन शिवपुरी ने समस्त राजस्व अधिकारियों को आदेश दिये कि संहिता की धारा 89 के अंतर्गत नक्शा संशोधन की कार्यवाही न की जावे, वरन् नक्शा संशोधन के मामले जांच कर कलेक्टर न्यायालय में भिजवाये जाय। तहसीलदार करैरा ने उक्तांकित प्रकरण प्रतिवेदन दिनांक 18-6-09 से कलेक्टर शिवपुरी को प्रेषित किया, जिस पर अपर कलेक्टर शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 2/11-12 अ-5 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 21-5-12 पारित किया एवं प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 522/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-10-2013 से अपील स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि मूल मामला नक्शे में बंदोवस्त के दौरान सर्वे नंबर के अंकन में हुई त्रुटि सुधार के सम्बन्ध में की मांग वावत् है एवं कलेक्टर भू प्रबंधन शिवपुरी द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार बंदोवस्त के दौरान तैयार किये गये नक्शे की त्रुटि कलेक्टर/अपर कलेक्टर दुरूस्त करेंगे - कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं है क्योंकि विचाराधीन प्रकरण संहिता की धारा 107 के अंतर्गत नवीन नक्शा निर्माण का अथवा नक्शा पुनरीक्षित कराये जाने का नहीं है अपितु बंदोवस्त के दौरान तैयार किये गये नक्शे में भूलवश केवल दो कृषकों के दो सर्वे नंबरों के स्थल के अनुसार नंबर अंकित न होने की मांग एवं सुधार वावत् है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 89 में प्रावधान है कि उप खंड अधिकारी राजस्व सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात्

तथा बंदोवस्त की अवधि के दौरान किसी सर्वेक्षण संख्यांक या खाते के क्षेत्रफल या निर्धारण में की किसी ऐसी गलती को , जो सर्वेक्षण में हुई भूल या गणना करने में हुई भूल के कारण हुई हो, ठीक कर सकेगा और उप खंड अधिकारी की यह शक्तियां तहसीलदार को भी प्रदान की गई हैं जो संहिता की धारा 24 (इ) उपधारा 2 अनुसार है। विचाराधीन मामला नक्शे में सर्वेक्षण संख्यांक के त्रुटिपूर्ण अंकन का है परन्तु अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने एवं अपर कलेक्टर शिवपुरी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं अनुविभागीय अधिकारी करैस द्वारा प्रकरण क्रमांक 116/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-08 से तहसीलदार करैस को हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु एवं स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति सामने आने के बाद निराकरण प्रकरण वापिस किया गया, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि करना नहीं पाई जाती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 522/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-10-2013 एवं अपर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/11-12 अ-5 में पारित आदेश दिनांक 21-5-12 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा अनुविभागीय अधिकारी, करैस द्वारा प्रकरण क्रमांक 116/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-08 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

13

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2013 जिला-शिवपुरी

बादाम सिंह पुत्र मंगाराम यादव, निवासी-
ग्राम टोड़ा करैरा, तहसील करैरा,
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

— आवेदक

विरुद्ध

लालाराम पुत्र पैज सिंह यादव, निवासी-
ग्राम टोड़ा करैरा, तहसील करैरा,
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

— अनावेदक

R-4585-III/13

3/12/13

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 522/2013-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.10.2013 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक ने तहसीलदार करैरा, जिला शिवपुरी के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह माँग की गयी थी कि टोड़ा स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 621 बन्दोबस्त के बाद सर्वे क्रमांक 1010 बनाया गया है। उक्त बन्दोबस्त के दौरान जो नक्शा तैयार किया गया है, इस सर्वे नम्बर की तालिका में त्रुटि की गयी है, जिसे सुधारा जाये। तहसीलदार करैरा, जिला शिवपुरी ने उक्त आवेदन पत्र को प्रकरण क्रमांक 8/04-05/अ-5 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 21.01.2008 से भूमि सर्वे नम्बर 1010 रकवा 0.700 हैक्टेयर पर दर्ज आवेदक बादाम सिंह बगैरह के स्थान पर लालाराम पुत्र श्री पेजसिंह यादव का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये।
2. यहकि, तहसीलदार करैरा, जिला शिवपुरी के आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, करैरा के समक्ष प्रकरण क्रमांक 116/07-08 प्रस्तुत की गयी थी, जो आदेश दिनांक 21.10.2008 द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार करैरा, जिला शिवपुरी का आदेश दिनांक 21.01.2008 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार करैरा, जिला शिवपुरी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर देते हुए प्रकरण का निराकरण करें।
3. यहकि, तहसील न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान कलेक्टर (भू-प्रबंधन) शिवपुरी ने जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किये कि नक्शा संशोधन की कार्यवाही मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत न की जाये, अपितु नक्शा संशोधन के मामलों में, जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय को भिजवाये जाये। इन्हीं निर्देशों के परिपेक्ष में तहसीलदार करैरा, जिला शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 8/04-05/अ-5 में प्रतिवेदन दिनांक 18.06.2009 अनुविभागीय

Dehat
31.12.13

XXXa BR H-11

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर


बादामसिंह विरुद्ध लालाराम

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4585-तीन/13

जिला -शिवपुरी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 21/4/16 | <p>अनावेदक के अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 4585-तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 28-01-2016 के पैरा -3 में नीचे से तीसरी पंक्ति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 116/2007-08/अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-08 एवं पैरा चार में नीचे से दूसरी पंक्ति में दिनांक 21-10-08 लिपिकीय त्रुटिवश टंकित हो गया है । 21-10-08 के स्थान पर 27-10-08 किया जाना न्यायसंगत होगा । अतः इस त्रुटि सुधार हेतु सीपीसी की धारा -152 सहपठित धारा -151 के अधीन आवेदन किया है । अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-01-2016 के पैरा -3 एवं 4 तथा अनुविभागीय अधिकारी, करैरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 116/07-08/अपील में पारित आदेश दिनांक 27-10-08 का अवलोकन किया गया ।</p> <p>इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-01-2016 के पैरा-3 एवं-4 तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27-10-08 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तिथि दिनांक 27-10-08 ही है । जबकि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पैरा-3 एवं 4 में लिपिकीय त्रुटिवश आदेश दिनांक 21-10-08 टंकित हो</p> | |

(5)



गया है ।

अतः उपर्युक्त त्रुटि सुधार किया जाना न्याय संगत है ।
परिणाम स्वरूप इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक
28-01-2016 के पैरा-3 में नीचे से चौथी पंक्ति तथा पैरा
क्रमांक -4 नीचे से दूसरी पंक्ति में दिनांक 21-10-08 के
स्थान पर आदेश दिनांक 27-10-08 पढ़ा जाये ।

यह आदेश इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश
दिनांक 28-01-2016 का अंग माना जाये ।



सदस्य